भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*48
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

आईआरईएल, एचसीएल और नाल्को का विलय

†*48. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) का 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स कॉरपोरेशन' में विलय करने पर विचार कर रही है क्योंकि चीन का प्रभुत्व चाइना मिनमेटल्स जैसी राज्य-समर्थित एकाधिकार वाली कंपनियों की वजह से है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या शाह आयोग ने परिवहन संबंधी जाली परमिटों, कम बीजकों वाले निर्यात और रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारियों जैसी प्रणालीगत धोखाधड़ी का खुलासा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ब्लॉकचेन आधारित खनिज ट्रैकिंग, एआई-संचालित सेटेलाइट संपरीक्षा जैसे उन प्रणालीगत सुधारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है/कार्यान्वित किए जाने का विचार है ताकि ऐसी स्थिति कहीं ओर उत्पन्न न हो?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'आईआरईएल, एचसीएल और नाल्को का विलय' के संबंध में डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही द्वारा दिनांक **23.07.2025** को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *__48__ के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या उनके अंतर्गत जारी अन्य नियमों या अनुज्ञप्तियों या दिशानिर्देशों जिन्हें, अवैध खनन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है के प्रावधानों के उल्लंघन में, लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के अवैध खनन की जांच करने के प्रयोजनार्थ, केंद्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2817 (अ) के अधीन न्यायमूर्ति एम बी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया। न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग ने खान मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में संसद में पेश किया गया। शाह जांच आयोग की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई ज्ञापन खान मंत्रालय की वेबसाइट पर नीति मेन्यू के अधीन उपलब्ध है। जिसका वेब लिंक है: *(https://mines.gov.in/webportal/shahcommissioninquiry)*

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकार को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई एवं भंडारण को रोकने तथा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अतः, खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई एवं भंडारण पर नियंत्रण तथा उससे संबंधित प्रयोजनों का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार समय-समय पर नीतिगत पहलों के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन और संवर्धन करती है। जाली परिवहन परमिट, कम बीजकों वाले निर्यात आदि जैसे धोखाधड़ी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(i) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को एमएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें धारा 21 और 23ग के साथ पठित धारा 30ख और 30ग में अन्य बातों के साथ-साथ, अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

(ii) कुल मिलाकर, 21 राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने

खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अंतर्गत नियम बना लिए हैं।

(iii) कुल मिलाकर, 22 राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अवैध खनन को नियंत्रित करने और विशेष रूप से अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण गतिविधियों की जांच के लिए सदस्य विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु गठित कार्य दलों की स्थापना की है।

(iv) खान मंत्रालय ने आईबीएम के माध्यम से अक्टूबर 2016 में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) शुरू की है। एमएसएस प्रणाली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध खनन की संभावित घटनाओं का पता लगाती है। सृजित ट्रिगर्स को सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

(v) खान मंत्रालय ने दिनांक 03.10.2023 को प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लौह अयस्क और अन्य खनिजों के ग्रेडों के गलत वर्गीकरण को रोकने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत उनके द्वारा बनाए गए नियमों में इन दिशानिर्देशों को उचित रूप से शामिल करें और उन्हें लागू करें। इन दिशानिर्देशों में ग्रेडों की स्व-घोषणा, परिवहन वाहनों की ट्रैकिंग, बीजक समाधान का स्वचालन आदि सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के दौरान खनिजों की ट्रैकिंग के लिए ब्लॉक चेन तकनीक के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

*****